कम्प्यूटर परिपत्र सं0-   दिनांक   अक्टूबर,2013

पत्र सं0-सचलदल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश -2013-14/ 1728   / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(सचल दल-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :: दिनांक :: 25, अक्टूबर,2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0)/(कार्यपालक)
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

मुख्यालय के पत्र सं0-सचलदल विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश -2013-14 / 1585 / वाणिज्य कर दिनांक 04 अक्टूबर , 2013; कम्प्यूटर परिपत्र सं0 1314058 दिनांक 07 अक्टूबर,2013 , द्वारा प्रान्त से प्रान्त के अन्दर तथा प्रान्त से प्रान्त के बाहर परिवहन किए जा रहे माल के संबंध में व्यवधान रहित मूवमेंट (Hassle Free Movement) तथा ऐसे माल के संबंध में हो रही कर अपवंचना की रोकथान हेतु " **ई-सचरण** " की व्यवस्था लागू करने के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए है ।

उपर्युक्त निर्देशों के द्वारा ई-संचरण की व्यवस्था दिनांक 28 अक्टूबर,2013 से लागू किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे । इस मध्य विभिन्न व्यापारिक संगठनों से प्राप्त सुझावों के आधार पर निम्नानुसार संशोधन करते हुए **ई-संचरण** की उक्त व्यवस्था को **दिनांक 20 नवम्बर,2013** तक परीक्षण पर रखा जाता है -

1- व्यापारी अपने एक से अधिक मोबाइल भी उक्त परिप्रेक्ष्य में रजिस्टर करा सकते है ।

2- व्यापारी द्वारा वेबसाइट पर मोबाइल रजिस्टर कराने के बाद पासवर्ड हेतु प्रिंट आउट की प्रति व्यापारी सुविधा केन्द्र में प्रस्तुत की जाएगी **जहाँ इसकी पावती रसीद उन्हें प्रदान की जाएगी** । व्यापारी सुविधा केन्द्र से यह प्रिंट आउट की प्रति उसी दिन संबंधित कर निर्धारण कार्यालय में प्रेषित की जाएगी । इसके निस्तारण की कार्यवाही पूर्व निर्धारित निर्देशानुसार विनिर्दिष्ट समयावधि में निष्पादित की जाएगी ।

3- यह पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि यदि कोई व्यापारी पूर्व में ही फार्म-38 से आयात के संबंध में "**ई-संचरण** " की सुविधा का उपभोग कर रहा है तो उसे फार्म-XXI के संबंध में लागू इस "**ई-संचरण** " की सुविधा हेतु पुनः अपने मोबाइल को रजिस्टर कराना अनिवार्य नहीं होगा । साथ ही इस हेतु उसे नया password भी लेने की आवश्यकता नही होगी ।

4- रु0 100 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नोवर वाले व्यापारी अपनी ब्रांचों के लिए भी Sub-user Password के लिए भी आन लाइन मोबाइल रजिस्टर करते समय विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं । ऐसे व्यापारी विभागीय डेटाबेस में उपलब्ध ब्रांचेज / वेयरहाउस के अनुरूप Sub-user Password हेतु आवेदन कर सकते हैं । यह आवेदन ई-संचरण हेतु मोबाइल नम्बर रजिस्टर कराने के कार्य के साथ ही विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसका एप्रूवल मोबाइल रजिस्टर करते समय ही कर दिया जाएगा । इसके पश्चात संबंधित व्यापारी द्वारा विभाग द्वारा दिए गए पासवर्ड से लाग इन करने पर Sub-user Creation के लिंक पर क्लिक किया जाएगा जिससे व्यापारी द्वारा संबंधित शाखाओं के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी को अंकित करते हुए

Sub-user create किया जाएगा। Sub-user से संबंधित पासवर्ड उक्त मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी पर प्रेषित किया जाएगा। Sub-user निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचरण जैनरेट कर सकेगा, जिसका विवरण व्यापारी के एकाउण्ट में प्रदर्शित होगा।

5- यदि किसी व्यापारी द्वारा प्रश्नगत माल का Bulk Movement किया जाना है, तब ऐसा व्यापारी जैसे ही संबंधित माल के परिप्रेक्ष्य में कन्साइनी की प्रविष्टि सहित अपेक्षित फार्म-21 की संख्या का उल्लेख करेगा तो उसे उतने ही टोकन उस कन्साइनी को माल के प्रेषण के लिए जैनरेट हो जायेंगे और उस टोकन नम्बर से लाग इन कर विवरण अंकित करते हुए विशिष्ट संचरण नम्बर जैनरेट कर सकेगा तथा वह तदनुसार इनका Bulk Movement कर सकेगा। प्रत्येक डिमाण्ड पर अधिकतम 100 टोकन जैनरेट किए जा सकेंगे जिसकी वैधता टोकन जैनरेट करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिन तक होगी। जिस टोकन का प्रयोग 30 दिन की अवधि में नही होगा, वह स्वयमेव निष्प्रयोज्य हो जाएगा।

ई-संचरण की उक्त व्यवस्था हेतु Bulk Movement का अभिप्राय ऐसे मूवमेंट से होगा जो एक बिल/ इन्वाइस /चालान के परिप्रेक्ष्य में हो तथा इससे आच्छादित माल को अग्रेतर अनेक वाहनों से गन्तव्य तक प्रेषित किया जाना हो।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

mk 25.10.2017
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) माननीय अध्यक्ष,उ0प्र0 राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ0प्र0 शासन ,लखनऊ।

(2)प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उ0प्र0 प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।

(3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना ,उ0प्र0 प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।

(4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, ,उ0प्र0 प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)

(5) अध्यक्ष/निबन्धक, उ0प्र0 प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0।

(6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।

(8) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उ0प्र0 प्रदेश।

(9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, ,उ0प्र0 प्रदेश।

(10) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर,,उ0प्र0 प्रदेश।

(11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।

(12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।

(13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।

(14) प्रबन्धक,इसेटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।

(15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, ,उ0प्र0 प्रदेश।

(16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट II, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

(17) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10 नोयडा।

(18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद।